



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 491]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 26, 2019/पौष 5, 1941

No. 491]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 26, 2019/PAUSHA 5, 1941

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिसूचना

मुम्बई, 26 दिसम्बर, 2019

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/46.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन (आईएफएससी) लिमिटेड, पेहली मंज़िल, इकाई संख्या 102, सिग्नेचर इमारत संख्या 13 बी, रोड 1 सी, ज़ोन 1, गिफ्ट एसएजी, गिफ्ट सिटी, गाँधीनगर – 382355, गुजरात द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2012 के विनियम 12 के अधीन मान्यता का नवीकरण प्रदान करने के आवेदन पर विचार करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि यह व्यापार के हित में होगा, प्रतिभूति बाजार के हित में होगा और ऐसा करना लोकहित में भी होगा, एतद्वारा, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 8क की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त समाशोधन निगम को मान्यता 29 दिसंबर, 2019 को प्रारंभ होने वाले और 28 दिसंबर, 2020 को समाप्त होने वाले एक वर्ष के लिए, इसमें नीचे कथित शर्तों अथवा जो इसके पश्चात् विहित या अधिरोपित की जाएँ के अधीन, प्रदान करता है:

- समाशोधन निगम भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करेगा।

संतोष कुमार मोहान्ती, पूर्णकालिक सदस्य

[विज्ञापन-III/4/असा./378/19]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 26th December, 2019

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/46.—The Securities and Exchange Board of India, having considered the application for grant of renewal of recognition under Regulation 12 of the Securities Contracts (Regulation) (Stock

Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018 by India International Clearing Corporation(IFSC) Limited, 1st Floor, Unit No. 102, The Signature Building No. 13B, Road 1C, Zone 1, GIFT SEZ, GIFT CITY Gandhinagar-328355, Gujarat and being satisfied that it would be in the interest of the trade, in the interest of securities market and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 4 read with sub-section (4) of section 8A of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, recognition to the said clearing corporation for one year, commencing on the 29th day of December, 2019 and ending on the 28th day of December, 2020 subject to the conditions stated herein below or as may be prescribed or imposed hereafter:

- The Clearing Corporation shall comply with conditions specified by SEBI from time to time.

SANTOSH KUMAR MOHANTY, Whole Time Member

[ADVT.-III/4/Exty./378/19]